

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 900] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2016/पौष 9, 1938 No. 900] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2016/PAUSA 9, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि. 1190(अ).—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा कर्मचारी भविष्य निधि सुकीम, 1952 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थातु:-

- 1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि (सातवां संशोधन) स्कीम, 2016 है।
 - (2) यह उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसी स्कीम से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, 1 जनवरी, 2017 को प्रवृत्त होगी और 31 मार्च, 2017 तक प्रवृत्त रहेगी।
- 2. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 में पैरा 82 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
 - "82क" कर्मचारी नामांकन अभियान 2017 की बाबत् विशेष उपबंध (1) कर्मचारी नामांकन अभियान, 2017 जनवरी, 2017 को प्रवृत्त होगा तथा 31 मार्च, 2017 तक प्रवृत्त रहेगी ।
 - (2) ऐसे प्रत्येक नियोक्ता, जो इस स्कीम के कर्मचारियों की सदस्यता और इससे संबंधित निधि में अंशदान, संबंधी उपबंधों का अनुपालन करने में विफल रहता है, 1 अप्रैल, 2009 से आरम्भ होने वाली और 31 दिसम्बर, 2016 को समाप्त होने वाली अविध में निधि का सदस्य बनने के लिए अपेक्षित अथवा पात्र थे किन्तु किसी कारण से सदस्य के रूप में नामांकित नहीं हुऐ थे, ऐसे प्रारूप में जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को घोषणा देगा।

6039 GI/2016 (1)

(3) नियोक्ता, उप पैरा (2) के प्रतिनिर्देश में घोषणा प्रस्तुत करने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर इस योजना स्कीम उपबंधों के अनुसार नियोक्ता का अंशदान एवं कर्मचारी की मजदूरी से काटा जाने वाला कर्मचारी अंशदान अधिनियम की धारा 7थ के अनुसार देय ब्याज और नुकसानी सहित संदाय करेगा:

परंतु नियोक्ता से कर्मचारी अंशदान के संदाय की अपेक्षा नहीं की जाएगी, यदि इसे कर्मचारी की मजदूरी से नहीं काटा गया है।

- (4) नियोक्ता, उप पैरा (2) और उप पैरा (3) का अनुपालन करने के पश्चात ऐसे प्रारूप में जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को रिटर्न फाइल करेगा।
- (5) नियोक्ता, उप पैरा (2) में निर्दिष्ट घोषणा में प्रत्येक कर्मचारी की सदस्यता के संबंध में पात्रता की तारीख विनिर्दिषट करेगा :

परंतु ऐसी घोषणा केवल उन्हीं कर्मचारियों के संबंध में विधिमान्य होगी जो 1 जनवरी, 2017 को जीवित हैं और यथा स्थिति उनकी स्थापना या नियोक्ता, के विरूद्ध ऐसे कर्मचारियों की सदस्यता की पात्रता अवधारित करने के लिए अधिनियम की धारा 7क या इस स्कीम के पैरा 26ख या कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के पैरा 8 के अधीन कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई है।

- (6) यदि नियोक्ता उप पैरा (3) में यथानिर्दिष्ट उसके द्वारा देय अंशदान, ब्याज और नुकसान के संदाय करने में विफल रहता है तो उप पैरा (2) के अधीन नियोक्ता द्वारा भेजी गई घोषणा को इस स्कीम के अधीन ऐसे नियोक्ता द्वारा नहीं भेजा गया माना जाएगा।
- (7) जहां उप पैरा (2) के अधीन की गई घोषणा में तथ्यों का दुर्व्यपदेशन किया गया हो या अधिक्रांत किया गया हो ऐसी घोषणा शून्य होगी और इस स्कीम के अधीन नहीं की गई समझी जाएगी तथा ऐसी घोषणा करने वाला व्यक्ति अधिनियम और इसके बनाई गई स्कीम के उपबंधों के अनुसार दांडिक कार्रवाई का दाति होगा।
- (8) ऐसे कर्मचारियों के संबंध में जिनकी सदस्यता कर्मचारी नामांकन अभियान, 2017 के अनुसार उप पैरा (2) के अधीन घोषित की गई है पर इस स्कीम के उपबंध जिन अपवादों और उपान्तरण के अध्यधीन लागू होंगे, जो निम्नानुसार हैं, अर्थात् :
- (क) पैराग्राफ 30 में उप पैरा (1) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: 'परन्तु अधिनियम और इसके अधीन बनाई गई स्कीम के अधीन फायदों के प्रसार और विस्तार के प्रयोजन के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान, 2017 के अधीन 1 अप्रैल, 2009 से आरंभ होनी वाली और 31 दिसम्बर, 2016 को समापत होने वाली अवधि के लिए सदसय के अंशदान अधितयजित हो :

परन्तु और यह कि ऐसा छूट अधित्यजन केवल तभी लागू होगा यदि कर्मचारी का अंशदान कर्मचारी की मजदूरी से वसूल न किया गया हो ।''

(ख) पैरा 32-क के उप पैरा (1) में सारणी के सुथान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :

"सारणी

(कर्मचारी नामांकन अभियान, 2017 के अधीन विधिमान्य घोषणाओं के संबंध में छूट के लिए लागू सारणी)

चूक की अवधि	नुकसान की दर
(1)	(2)
1अप्रैल, 2009 से 31 दिसंबर, 2016 के बीच	एक रुपया प्रतिवर्ष"

(ग) पैरा 39 के सुथान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात :

"39. प्रशासनिक प्रभार का नियतन–कर्मचारी नामांकन अभियान, 2017 के अधीन 1 अप्रैल, 2009 से 31 दिसम्बर, 2016 की अवधि के लिए पैरा 38 के उप पैरा (1) के अधीन देय प्रशासनिक प्रभार शुनुय होंगे।"

> [फा. सं. एस. 35012/13/2016-एस.एस-.II] आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल स्कीम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1509(अ) तारीख 2 सितम्बर, 1952 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1065(अ) 11 नवंबर, 2016 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2016

G.S.R. 1190(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely:—

- 1. (1) This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Seventh Amendment) Scheme, 2016.
- (2) It shall come into force on the 1st day of January, 2017 and shall cease to operate on the 31st day of March, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such cessation.
- 2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, after paragraph 82, the following paragraph shall be inserted, namely:—

"82A. Special provision in respect of Employees' Enrolment Campaign, 2017.—(1) The Employees' Enrolment Campaign, 2017 shall come into force on the 1st day of January, 2017 and shall cease to operate on the 31st day of March, 2017.

- (2) Every employer who has failed to comply with the provisions of this Scheme in relation to membership of employees and contribution thereto to the Fund, shall furnish a declaration in such Form as may be specified by the Central Provident Fund Commissioner, in respect of membership of the employees, who were required or entitled to become members of the Fund for the period beginning the 1st day of April, 2009 and ending the 31st day of December, 2016 but were not enrolled as members for any reason, to the Regional Provident Fund Commissioner.
- (3) The employer shall, within fifteen days from the date of furnishing the declaration referred to in subparagraph (2), remit the employer's contribution payable in accordance with the provisions of this Scheme and the employee's contribution deducted from the employee's wages along with interest payable in accordance with section 7Q of the Act and damages:

Provided that employer shall not be required to pay the employee's contribution if the same has not been deducted from the wages of the employee.

- (4) The employer shall, after complying with sub-paragraph (2) and sub-paragraph (3), file a return in such form as may be specified by the Central Provident Fund Commissioner, to the Regional Provident Fund Commissioner.
- (5) The employer shall specify the date of eligibility in respect of each employee for membership in the declaration referred to in sub-paragraph (2):

Provided that such declaration shall be valid only in respect of employees who are alive as on the 1st day of January, 2017 and no proceedings under section 7A of the Act or under paragraph 26B of this Scheme or under paragraph 8 of the Employees' Pension Scheme, 1995 have been initiated against their establishment or employer, as the case may be, to determine the eligibility for membership of such employees.

- (6) If the employer fails to remit the contribution, interest and damages payable by him as referred to in sub-paragraph (3), then, the declaration sent by the employer under sub-paragraph (2) shall be deemed to have not been made by such employer under this Scheme.
- (7) Where a declaration under sub-paragraph (2) has been made by misrepresentation or suppression of facts, such declaration shall be *void* and shall be deemed to have not been made under this Scheme and the person making such declaration shall be liable to penal action in accordance with the provisions of the Act and the Schemes made thereunder.
- (8) The exceptions and modifications subject to which the provisions of this Scheme shall apply, in relation to the employees' whose membership have been declared under sub-paragraph (2) as per the Employees' Enrolment Campaign, 2017, shall be as follows, namely:—
 - (a) in paragraph 30, after sub-paragraph (1), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that, for the purpose of increasing coverage and extension of benefits under the Act and Schemes made thereunder, the member's contribution is waived under Employees' Enrolment Campaign, 2017 for the period beginning the 1st day of April, 2009 and ending the 31st day of December, 2016:

Provided further that such waiver shall be applicable only if the member's contribution has not been recovered from such member's wages.".

(b) in paragraph 32-A, in sub-paragraph (1), for the Table, the following Table shall be substituted, namely:—

TABLE

(Applicable for remittances in respect of valid declarations under Employees' Enrolment Campaign, 2017)

Period of default	Rate of damages
(1)	(2)
Between the 1 st day of April, 2009 to the 31 st day of	One rupee per annum.".
December, 2016	

(c) for paragraph 39, the following paragraph shall be substituted, namely:—

"39. Fixation of administrative charges.—The administrative charges payable under Employees' Enrolment Campaign, 2017 for the period 1st April, 2009 to the 31st December, 2016 under sub-paragraph (1) of paragraph 38 shall be nil."

[F. No. S-35012/13/2016-SS-II]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.

Note: The principal scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number S.R.O. 1509, dated the 2nd September, 1952 and was lastly amended *vide* notification number G.S.R. 1065(E), dated the 11th November, 2016.